**भारत का उच्चतम न्यायालय** **वकालतनामा**

**भारत का उच्चतम न्यायालय**.......................................................................................

तरफ से ....................................................... मुकदमा संख्या ..........................

........................................................................

......................................................................... वादी/अपीलार्थी/आवेदक

प्रति,

.........................................................................

......................................................................... प्रतिवादी/उत्तरदायी/आवेदक

मैं/हम ............................................................................................................. निवासी ग्राम ......................................................................................... का हूॅं, जो इस मुकदमे में यह वकालतनामा लिख लेते हैं कि ऊपर मुकदमा करने के लिए मैंने/हमने श्री ............................................................................ अधिवक्ता को मेहनताना अदा करने का वचन देकर अपना वकील नियुक्त करता हूॅं/करते हैं। उक्त वकील महोदय को मैं/हम यह अधिकार देता हूॅं/देते हैं कि मुकदमें में हमारे ओर से पैरवी करें, आवश्यक प्रश्न पूछें, जवाब दें और बहस करें। दस्तावेज का कागज में हाजिर करें, वापस लेवें, पंचनामा दाखिल करें पंच नियुक्त करें या उठा लेवें आैर डिग्री प्राप्त हो जाये तो उसे जारी करावें, डिग्री का रूपया खर्चा व हर्जाने का रूपया या किसी दूसरी तरफ का रूपया जो अदालत से हमें मिलने वाला हो वसूल करें/ हमारी ओर से अदालत में दाखिल करें। कोई फीस व स्टाम्प शुल्क देवें या प्रमाणित करें, नकल प्राप्त करें, अदालत की अनुमति से मिसिल का मुआयना कर आवश्यक होने पर मुकदमा स्थापित करावें व इस मुकदमें के संबंध में दूसरे कागज जरूरी जो समझें करें, पैरवी के लिए अपनी ओर से कोई दूसरा वकील नियुक्त करें यदि आवश्यक हो तो अपना निगरानी का अदालत पैरवी करें।

इस अधिकारी पत्र के अनुसार उक्त वकील महोदय इस मुकदमे के संबंध में जो काम करेंगे यह सब मेरा/हमारा किया हुआ समझा जावेगा और वह मुझे/हमें अपने ही किये समान मान्य होगा। अधिवक्ता दौरे में जाने को बाध्य न होंगे और उन्हें यह भी अधिकार होगा कि ठहराई हुई फीस का कोई भाग न पाने पर मुकदमें की पैरवी छोड़ दें। हर पेश पर हम खुद हाजिर रहेंगे या अपनी मुखत्यार को भेजेंगे, वकील साहब चिट्ठी से मुकदमें की खबर हमें भेजने के जिम्मेदार न होंगे। हम किसी भी हालत में फीस वापस न ले सकेंगे। इसलिए यह अधिकार एवं स्वयं अपनी सम्मत्ति से लिख दिया और हस्ताक्षर किया तथा अपने दो परिचित साथियों के अंगूठा का चिन्ह लगाकर श्री .....................................................को ऊपर लिखे मुकदमा में नियुक्त कर अधिकार देते हैं। ताकि प्रमाण रहे और हस्ताक्षर किया तथा हम तसदीक करते हैं कि श्री.............................................................................. काे पहचानते हैं।

इन्होने हमारे सामने अधिवक्ता/अधिवक्ता श्री................................................................ को वकील नियुक्त करने वाले हस्ताक्षर मुकर्रर किया/अंगूठा लगाया/स्वीकृत किया।

गवाह-

1. ..................................

2. ..................................

वादी/प्रतिवादी अधिवक्ता

दिनांक ..............................